राजस्थान सरकार

खान एवं भू–विज्ञान विभाग,उदयपुर

नागरिक अधिकार – पत्र

उदयपुर

मार्च, 2024

उदयपुर

मार्च, 2024

नागरिक अधिकार – पत्र

खान एवं भू–विज्ञान विभाग,उदयपुर

उद्देश्य

विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का विनियमन एवं विकास करना है, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग इन खनिजों से लाभान्वित हो सके। खनिजों की खोज एवं वैज्ञानिक तरीके से दोहन करने हेतु परामर्श एवं प्रोत्साहित करने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

प्रतिबद्धता व नियमावली

खनिजों को मुख्य तौर पर निम्न दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

1. प्रधान खनिज : धात्विक खनिज जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, चांदी, बॉक्साईट, आयरन ओर, मैग्नीजएवं औद्योगिक खनिज जैसे लाईमस्टोन(सीमेन्ट ग्रेड एवं एस.एम.एस.ग्रेड), रॉक फास्फेट, सिलिसियस अर्थ, गारनेट,कायनाईट आदि।
2. अप्रधान खनिज : भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.02.2015 के द्वारा 31 प्रकार के औद्योगिक प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किये जाने से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 मे अप्रधान खनिज को दो श्रेणी मे विभक्त किया हैः–

   पार्ट–एः– पार्ट ''ए'' मे मुख्यतः निर्माण सामग्री आदि से जुडे खनिज यथा. बजरी, मेसेनरीस्टोन, मार्बल, ग्रेनाईट, लाईमस्टोन(अप्रधान) ईट–मिट्टी, बेन्टोनाईट, साल्टपीटर, फिलाईट शिष्ट, सैण्डस्टोन, स्लेट स्टोन आदि।

   पार्ट–बीः– पार्ट बी मे मुख्यतः औद्योगिक प्रकार के खनिज यथा. अगेट, क्ले, ऑकर , डोलोमाईट, सोपस्टोन, केल्साईट ,क्वार्टज, फैल्सपार, माईका, केऑलिन, पायरोफलाईट जिप्सम आदि।

   खनिजों के विनिमयन एवं विकास हेतु भारत सरकार के खान एवं खनिज (विनिमय एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्रधान खनिजों के लिए खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा से भिन्न खनिज) रियायत नियम–2016 नीलामी के माध्यम से खनन पट्टा आवंटन बाबत् खनिज (नीलामी) नियम–2015, खनिज साक्ष्य बाबत् ''खान(खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम–2015, खनिजों के संरक्षण व विकास हेतु खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2017,खनिज क्षैत्र एवं वहॉ के निवासियों के कल्याण एवं विकास हेतु खान एवं खनिज (जिला खनिज फाउण्डेशन में अनुदान)नियम 2015, राजस्थान जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट नियम–2016, खनिजों की खोज हेतु राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम 2015, राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट नियम–2020 तथा परमाणु खनिजों के लिए परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 प्रभाव मे हैं ।

   इसी प्रकार अप्रधान खनिज के लिए राज्य मे खनिज नीति–2015 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 प्रभावी है। उक्त नियमों के अन्तर्गत राज्य मे प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न स्तर से अधिकारियों को नियमो मे अधिकार प्रदत्त किये गये है।

पारदर्शिता व जवाबदेही

विभाग की नियमावली एवं प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, खान आवंटन की उचित प्रक्रिया तथा वांछित जानकारी सहज रूप से उपलब्ध है और ये सभी जानकारिया उपलब्ध कराई भी जाती है । इन्ही नियमो के तहत प्रभारी अधिकारियो के कार्य दायित्व निश्चित किये गये है किसी भी अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील/रिवीजन प्रस्तुत करने का भी नियमो में स्पष्ट प्रावधान है, ताकि कार्य प्रणाली में जवाबदेही रहे और हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके।

कार्य प्रणाली एवं सूचना का अधिकार

विभाग द्वारा समस्त अधिकारियोंव कर्मचारियो के कार्य मानदण्डो का निर्धारण एवं दायित्व वहन के लिए उनकी प्रतिबद्वता निश्चित की गई है। समय की मांग के अनुसार समय–समय पर नियमो/प्रक्रियाओ में परिवर्तन किया जाता है ताकि खान एवं खनिजों का विकास सुनिश्चित हो सके ।राज्य में लगभग सभी जिला मुख्यालय पर विभाग के कार्यालय है जिनके प्रभारी तकनीकी अधिकारी है। नियमावली या प्रक्रिया में समय–समय पर हुए संशोधन की पूरी जानकारी विभाग के इन कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। इन कार्यालयों मे नियमो के अन्तर्गत विभिन्न पंजिकाऐं, मास्टर मेप आदि संधारित किये जाते है जिनका निरीक्षण निर्धारित देय शुल्क पर किया जाकर, आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है।

खनिजों की खोज

विभाग की भू–विज्ञान शाखा वैज्ञानिक तरीके से विभिन्न प्रधान एवं अप्रधान खनिजों की खोज मे कार्यरत है और प्रति वर्ष विभिन्न खनिजों की उपलब्ध्ता के संबंध मे तकनीकी प्रतिवेदन विभाग द्वारा तैयार किये जाते है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा चाहे जाने पर निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध कराये जाते है ।

खनिज दोहन

विभिन्न खनिजों के दोहन हेतु खनन शाखा द्वारा राज्य नीति एवं नियमो के अन्तर्गत खनिज रियायतें अनुदान की जाती है। अन्वेषण, पूर्वेक्षण तथा खनन करने के अधिकार निम्न प्रकार से नियमो मे वर्णित प्रक्रिया के तहत प्रदान किये जाते है।

1 एक्सप्लोरेशन लाईसेंस
2 पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र (केवल रक्षित प्रकरणों में)
3 कम्पोजिट लाईसेन्स सह माईनिंग लीज
4 माईनिंग लीज
5 क्वारी लाईसेन्स
6 अल्पावधि अनुमति पत्र
7 परमिट

वर्तमान में प्रधान खनिज के खनन पट्टे केवल मात्र ई–ऑक्शन के माध्यम से ही आंवटित किये जाते हैं। अप्रधान खनिज के राजकीय भूमि में खनन पट्टे ई–ऑक्शन के माध्यम से आवंटित किये जाते हैं तथा खातेदारी भूमि में खनन पट्टे आवेदक (खातेदार/रजिस्टर्ड सहमति धारक) को ऑनलाईन आवेदन के आधार पर आवंटित किये जाने के प्रावधान है।

खनिज व खानो पर देय शुल्क

विभाग द्वारा प्रत्येक खान पर निश्चित वार्षिक न्यूनतम राशि बतौर स्थिर भाटक या क्वारी लाइसेन्स फीस ली जाती है और खान से प्रत्येक टन खनिज निर्गमन पर रॉयल्टी ली जाती है स्थिर भाटक, रॉयल्टी, नियमावली के परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित है तथा इसी दर से विभाग द्वारा वसूल की जाती है । ये दरें विभाग की वेबसाईट तथा किसी भी कार्यालय से मालूम की जा सकती है। प्रधान खनिजों के स्थिर भाटक व रॉयल्टी की दरें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होती है एवं अप्रधान खनिजों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ये दरें प्रति 3 साल की अवधि के पश्चात् संशोधित कियेजाने का प्रावधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान खनिज के खनन पट्टों में खनिज निर्गमन पर नियमानुसार एन. एम.ई.टी.एवं डी.एम.एफ.टी. शुल्क तथा अप्रधान खनिज के खनन पट्टों में खनिज निर्गमन पर नियमानुसार डी.एम.एफ.टी. तथा आर.एस.एम.ई.टी.शुल्क भी देय है।

रॉयल्टी संग्रहण ठेके

क्वारी लाईसेन्स क्षेत्रों में वार्षिक लाईसेन्स फीस तथा खनिज निर्गमन पर अधिशुल्क तथा खनन पट्टा क्षेत्रों से स्थिर भाटक के अलावा अधिक अधिशुल्क विभाग द्वारा लिया जाता है।अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. आदि के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा ठेके दिये जाते है। इन सभी ठेकों के लिए विभाग द्वारा अखबारों में तथा विभागीय एवं ई–ऑक्शन प्रदाता कम्पनी की वेबसाईट पर विज्ञप्ति जारी की जाती है और ई–निलामी के माध्यम से ये ठेके उच्चतम बोली पर विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

कार्यालय और क्षैत्राधिकार

किसी भी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए एवं दिन प्रतिदिन के विभिन्न विभागीय कार्यो के लिए राज्य में खनन विभाग के कार्यालय कार्यरत है, जिनका क्षेत्राधिकार समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुरुप रहता है।

सतर्कता कार्यालय

अवैध खनन की रोकथामः– राज्य में खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु निदेशक खान के अलावा जोन स्तर पर 4 अतिरिक्त निदेशक खान, वृत स्तर पर 9 अधीक्षण खनि अभियन्ता तथा खण्ड एवं उपखण्ड स्तर पर खनि अभियन्ता एवं सहायक खनि अभियन्ता क्रमशः 23 एवं 16 कार्यालय अवस्थित है इसके अलावा सतर्कता के उपखण्ड, खण्ड, वृत के क्रमशः 19, 12 एवं 7 कार्यालय अवस्थित है इसके अलावा निदेशालय में एक अतिरिक्त निदेशक खान (सतर्कता–मु0), एक अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता)व दो सहायक खनि अभियन्ता (सतर्कता) पद स्थापित है।

खनिज सांख्यिकी

राजस्थान राज्य के जिलेवार खनिज उत्पादन, विक्रय मूल्य, खानों की संख्या, राजस्व आदि के आंकड़े निदेशालय में सुचारु रुप से संधारित किये जाते हैं और निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध सूचनाएँ विभाग द्वारा प्रदान कराई जाती है। मुख्य सांख्यिकीय आंकडे विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाते है ।

प्रकाशन शाखा

विभाग द्वारा किये गये किये कार्यो, उपलब्धियों, नीतिगत निर्णय, नियम आदि के प्रकाशन हेतु निदेशालय में प्रकाशन शाखा कार्यरत है ।

वेबसाईट व ई–मेल

विभाग के संबंधित समस्त जानकारी इस वेबसाईटwww.mines.rajasthan.gov.inपर निःशुल्क उपलब्ध है। इससे अधिक जानकारी के लिए विभाग के ई–मेल पते पर भेज कर ई–मेल से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ई–मेल का पता dmgoms.uda.mg@rajasthan.gov.inहै।

वन क्षेत्र में आने वाली खानों का निस्तारण

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही वन विभाग की विभागीय वेबसाईट पर आवेदन करने पर यूजर ऐजेन्सी/लीज धारक के द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्ताव, नवीनीकरण ऑफ डायवर्जन के प्रस्ताव, प्रोस्पेक्टिंग, सर्वे कार्य संबंधी प्रस्तावों का अवलोकन किया जा सकता है।

अन्य सुविधाएँ

विभाग में सुव्यवस्थित प्रयोगशाला,भू–भौतिक यंत्र और छिद्रण मशीनें है। खनन उद्यमी नियमानुसार देय शुल्क पर खनिज गवेषण का कार्य करवा सकता हैं। निर्धारित दरों की विस्तृत जानकारी निदेशाालयया विभागीय वेबसाईट से ली जा सकती है।

राज्य स्तरीय खनिज परामर्शदात्री परिषद

राज्य में खनिज परामर्शदात्री परिषद का गठन अगस्त, 1994 में किया गया जिसका वर्ष 2006 में पुर्नगठन किया गया है। यह समिति खनिज क्षैत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं,आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने एवं खनिज विकास हेतु महत्वपूर्ण सुझाव देती है जिसके आधार पर समय–समय पर राज्य के खनिज नियमों एवं नीति में आवश्यक संशोधन किया जाता है।

खनिज रियायत कार्यो से संबंधित नागरिक अधिकार, निर्धारित शुल्क एवं कार्य निष्पादन समय सीमा संबंधी सूचना

क.सं.	कार्य	निर्धारित शुल्क	निर्धारित अवधि	निस्तारण स्तर
1	खातेदारी भूमि में प्राप्त आवेदन पत्र की मूल दस्तावेज कार्यालय में जमा करने पर प्राप्ति रसीद दिया जाना	निःशुल्क	उसी कार्य दिवस को	प्राप्ति लिपिक
2	खातेदारी भूमि में प्राप्त आवेदन पत्र में मूल दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात रिक्तता सम्बन्धी रिपोर्ट करना	निःशुल्क	सात दिवस	मानचित्रकार
3	रिक्तता सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सीमांकन हेतु पत्र जारी करना	निःशुल्क	सात दिवस	रियायति लिपिक
4	सीमांकन करना	सशुल्क	एक माह	खनि कार्यदेशक I / II / सर्वेयर एवं हल्का पटवारी
5	सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर ईको फ्रेण्डली रिपोर्ट व खनिज उपलब्धता हेतु पत्र जारी किया जाना	निःशुल्क	सात दिवस	रियायति लिपिक
6	ईको फ्रेण्डली बाबत् क्षेत्र निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करना	निःशुल्क	सात दिवस	सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता
7	खनिज उपलब्धता बाबत् क्षेत्र निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रेषित करना	निःशुल्क	सात दिवस	वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/ अधीक्षण भूवैज्ञानिक
8	आवेदन पत्र पूर्ण होने पर मंशा पत्र जारी करना/किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव प्रेषित करना	निःशुल्क	पॉच दिवस	सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता
9	प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने पर मंशा पत्र जारी करना	निःशुल्क	सात दिवस	सक्षमता के आधार पर
10	खनन योजना के प्रारूप को जमा करने पर सहायक खनि अभियंता / खनि अभियंता एवं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक / अधीक्षण भूवैज्ञानिक को टिप्पणी हेतु पत्र प्रेषित किया जाना	निःशुल्क	सात दिवस	अधीक्षण खनि अभियंता/अतिरिक्त निदेशक (खान)
11	खनन योजना के अनुमोदन हेतु क्षेत्र निरीक्षण के उपरांत स्कूटनी कमेंटस् प्रेषित किया जाना	निःशुल्क	एक माह	सहायक खनि अभियंता/ खनि अभियंता एवं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक / भूवैज्ञानिक
12	स्कूटनी कमेंटस् प्राप्त होने पर 5 प्रति में संषोधित खनन् योजना हेतु पत्र जारी किया जाना	निःशुल्क	पॉच दिवस	अधीक्षण खनि अभियंता/ अतिरिक्त निदेशक (खान)
13	5 प्रति में खनन योजना प्राप्त होने पर अनुमोदन किया जाना	निःशुल्क	सात दिवस	अधीक्षण खनि अभियंता/ अतिरिक्त निदेशक (खान)

14	खनन पट्टों की स्वीकृति	निःशुल्क	अप्रधान खनिजों के राजकीय तथा खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन करने हेतु जारी मंशा पत्र की पूर्ण पालना के उपरान्त 30 दिवस में।	सक्षमता के आधार पर निस्तारण
15	क्वारी लाइसेन्स की स्वीकृति	निःशुल्क	अप्रधान खनिजों के राजकीय तथा खातेदारी भूमि में क्वारी लाईसेंस आवंटन करने हेतु जारी मंशा पत्र की पूर्ण पालना के उपरान्त 7 दिवस में।	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता
16	अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के नियम 51 अल्पावधि अनुज्ञापत्र पत्र, नियम–52 अनुज्ञा पत्र, नियम–53 ईट–मिट्टी अनुज्ञापत्र	नियमावली मे निर्धारित शुल्क	औपचारिकताएँ पूर्ण करने के 15 दिन में	सक्षमता के आधार पर निस्तारण
17	स्कूटनी में लिये गये खनन पट्टों का अधिशुल्क निर्धारण अंतिम किया जाना	निः शुल्क	रिकार्ड प्राप्ति के 3 माह में	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता
18	खननपट्टे में नये खनिज को सम्मिलित करने के बाबत् प्रार्थना पत्र का निस्तारण	निः शुल्क	एक माह में संबंधित खनि अभियन्ता द्वारा निरीक्षण पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव प्रेषण करने के पश्चात् एक माह	प्रधान खनिज में शासन स्तर से व अप्रधान खनिजों में निदेशालय स्तर पर
19	प्रतिभूति की राशि के संदर्भ में नई राष्ट्रीय बचत/एफ.डी.आर. /बैंक गारन्टी प्राप्त होने पर पुरानेप्रमाण पत्र लौटानें बाबत्।	निः शुल्क	सात दिन में	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता
20	पट्टाधारी/क्वारीलाइसेन्स की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के पक्ष मे नामान्तरण की स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण	राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–76 के तहत देय, प्रधान खनिजों में निःशुल्क	समस्त वांछित दस्तावेजो के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के 3 माह में	संबंधित अतिरिक्त निदेशक(खान)
21	नामान्तरण की स्वीकृति उपरान्त संविदा निष्पादन	नियमानुसार देय स्टाम्प	तीन माह में	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता

22	आर.एम.एम.सी.आर. के अनुसार रॉयल्टी संग्रहण ठेके की एवं अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेके हेतु प्राप्त बोली पर अंतिम निर्णय	—	ई—नीलामी होते ही सफल बिडर स्वतः घोषित तथा 15 दिवस में औपचारिकताएँ पूर्ण करने पर 15 दिन में ठेका स्वीकृति जारी करना	सक्षम अधिकारी
23	आर.एम.एम.सी.आर.—2017 के नियम 80 के तहत विभाग में राजस्व मद मे जमा राशि लौटाने बाबत् प्राप्त प्रार्थना पत्रो का निस्तारण	निःशुल्क	तीन माह	जी.एफ. एण्ड ए.आर. के तहत प्रदत्त कार्य शक्तियों के अनुसार।
24	अरावली प्रमाण पत्र जारी किया जाना	200/—	पॉच दिवस	मानचित्रकार
25	कलस्टर प्रमाण पत्र जारी किया जाना	200/—	पॉच दिवस	मानचित्रकार
26	खनिज व्यवहारी (डीलर) के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण हेतु क्षेत्र का निरीक्षण बाब्त पत्र जारी करना	2000/—	पॉच दिवस	टी. पी. लिपिक
27	खनिज व्यवहारी (डीलर) के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण हेतु क्षेत्र का निरीक्षण किया जाना	निःशुल्क	पन्द्रह दिवस	खनि कार्यदेशक I/II/सर्वेयर/सहायक खनि अभियंता
28	खनिज व्यवहारी (डीलर) के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण हेतु क्षेत्र का निरीक्षण उपरांत पंजीयन किया जाना। निर्धारित शुल्क जमा होने पर।	25000/—	सात दिवस	सहायक खनि अभियंता/ खनि अभियंता
29	अवैध खनन से संबंधित शिकायत की जांच व निस्तारण	निःशुल्क	पन्द्रह दिवस	सहायक खनि अभियंता/ खनि अभियंता
30	अन्य शिकायत	निःशुल्क	एक माह	सहायक खनि अभियंता/ खनि अभियंता
31	राज्य के खान एवं वन विभाग द्वारा सरकार को प्रेषित वन डायवर्जन आदि प्रस्तावों की जानकारी।	निःशुल्क	पॉच दिवस	नोडल अधिकारी अतिरिक्त निदेशक खान (पर्यावरण एवं विकास) उदयपुर।
32	अपने खनन क्षेत्र का मानचित्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	पॉच दिवस	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता
33	आवेदक स्वयं को उसके संबंध में जारी आदेश /पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति उपलब्ध कराना	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	पॉच दिवस	संबंधित अधिकारी जहां से आदेश जारी हुआ है।

34	स्वयं के खनन क्षेत्र से संबंधित सीमांकन रिपोर्ट /फिल्ड बुक की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरान्त	समय समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	पॉच दिवस	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता
35	अपील/रिवीजन के संबंधित आदेशो की प्रमाणित प्रति	नियमानुसार शुल्क पर	पॉच दिवस	अतिरिक्त निदेशक (खान), जोन
36	खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स की आवेदन पत्र पंजिका/स्वीकृत खनन पट्टा/क्वारी लाइसेन्स पंजिकाओं का निरीक्षण	समय–समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	उसी कार्य दिवस को	खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय जहां यह संधारित किये जाते है।
37	खनन पट्टा/ क्वारी लाइसेन्स के मास्टर प्लान का निरीक्षण	समय–समय पर राज्य सरकार/ निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	उसी कार्य दिवस को	खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता के क्षेत्रीय कार्यालय जहां यह संधारित किये जाते है।
38	खनन पट्टों के संबंध में कोई बकाया नहीं, प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	तीन दिवस	संबंधित खनि अभियन्ता/ सहायक खनि अभियन्ता को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।
39	वर्क्स ठेकेदार का अधिक शुल्क निर्धारण	निःशुल्क	एक माह	निर्माण विभाग के वर्क आर्डर के संबंध में उपयोग में आये विभिन्न खनिजों की कुल मात्रा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद एक माह में संबंधित क्षेत्रीय खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा किया जा सकेगा।
40	वर्क्स ठेकेदार के संबंध में कोई बकाया नहीं, प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र का निस्तारण	निःशुल्क	सात दिवस	संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता को निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाये।
41	अधिशुल्क निर्धारण के बाद वर्क्स ठेकेदार की लौटाने योग्य राशि का क्लेम प्राप्त होने पर उसका निस्ताारण	निःशुल्क	दो माह ख.अ./स. ख.अ. एक माह निदेशक/अतिरिक्त निदेशक/अधीक्षण खनि अभियन्ता एक माह शासन	सक्षमता के आधार पर निस्तारण

42	स्वीकृत खनन पट्टों का पुनः सीमांकन अप्रधान खनिज–आर.एम.एम.सी. आर.–2017 का नियम 91	अप्रधान खनिज के नियम–91 के अनुसार देय	अप्रधान खनिज के प्रकरण में, फीस जमा होने के 45 दिवस में तथा प्रधान खनिज के प्रकरण में मांग की जानें की तिथि के 3 माह में	संबंधित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता
43	भूवैज्ञानिक मानचित्र एवं अन्य मानचित्र जो विभाग द्वारा तैयार किये गये है उनकी प्रति प्राप्त करना।	समय–समय पर राज्य सरकार / निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	शुल्क राशि जमा होने के पश्चात् सात दिवस	अतिरिक्त निदेशक भू–विज्ञान (मु.) अधीक्षण भू वैज्ञानिक (रिमोट सेन्सिंग) निदेशालय एवं संबंधित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता
44	खनिज विश्लेषण (रासायनिक व अन्य) एवं अन्य कार्य	समय समय पर राज्य सरकार / निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार	एक माह	रासायनिक एवं सिरेमिक अभियन्ता एवं वरिष्ठ रसायनज्ञ निदेशालय
45	खनिजों की उपलब्धता / परियोजना के संबंध में विभाग द्वारा तैयार प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त करना	समय समय पर राज्य सरकार / निदेशालय द्वारा जारी निर्देशानुसार सशुल्क	सात दिवस	अतिरिक्त निदेशक भू–विज्ञान, निदेशालय
46	जिलेवार खनिज उत्पादन, खानों की संख्या, राजस्व आदि आंकड़े	–	विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है	–
47	प्रयोगशाला की सुविधाएं उपयोग में लेने की दरे प्राप्त करना	निःशुल्क	विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है	–
48	भू भौतिक यंत्रों के उपयोग, छिद्रण कार्यो आदि की दरे प्राप्त करना।	निःशुल्क	उसी कार्य दिवस को	विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
49	खनिज की उपलब्धता, उपयोगिता एवं खनिज आधारित उद्योग के बारे में आम तौर उपयोगी मौखिक सूचना व सलाह देना	निःशुल्क	उसी कार्य दिवस को	भूविज्ञान शाखा का संबंधित क्षैत्रीय कार्यालय एवं संबंधित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय
50	प्रकिया / नियमों की मौखिक जानकारी	निःशुल्क	उसी कार्य दिवस को	संबंधित कार्यालय से
51	मिनरल म्यूजियम, पुस्तकालय में प्रवेश व उपलब्ध सामग्री से ज्ञानवर्धन	निःशुल्क	उसी कार्य दिवस को	अतिरिक्त निदेशक (भू–विज्ञान)(मु0) उदयपुर

नोटः– समयावधि की गणना कार्यदिवसों के आधार पर की जावेगी ।

संबंधित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त कार्य निर्धारित सीमा में नही होने पर निम्न प्रकार उच्चाधिकारी को अवगत कराया जा सकता है

सहायक खनि अभियन्ता/खनि अभियन्ता वरिष्ठ भूवैज्ञानिक/अधीक्षण भूवैज्ञानिक अधीक्षण खनि अभियन्ता अतिरिक्त निदेशक खान/भूविज्ञान	अधीक्षण खनि अभियन्ता को अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) संबंधित जोन को अतिरिक्त निदेशक (खान) संबंधित जोन को निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग को

नोटः–उपरोक्त तालिकाओं में जो अवधि कार्य निस्तारण हेतु दी गई है, यथासम्भव उसी अवधि में कार्य संपादन किया जावेगा, यह अपेक्षा की जाती है, परन्तु सक्षम न्यायालय के द्वारा कोई आदेश यदि कार्य को प्रभावित करता है तो यह अवधि बढ़ी हुई मानी जावेगी। इसी प्रकार विभाग द्वारा नोटिस देने के उपरान्त भी यदि प्रार्थी/आवेदक नियमानुसार वांछित शुल्क/दस्तावेज विभाग को प्रस्तुत करने में विलम्ब करता है या असफल रहता है तो उसकी पूर्ति होने पर ही उपरोक्तानुसार अवधि की गणना की जावेगी।

विभाग के दूरभाष संपंर्क नम्बरः

विभागीय वेबसाईट पर समस्त अधिकारियों एवं उनके कार्यालयों के दूरभाष नम्बर उपलब्ध है।